न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 81/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/129)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. कुलविन्द्र कौर पत्नी हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. राजवंश कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.04.2023

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

2.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

——निर्णय—— दिनांकः 10.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 36 एफ, पटवार मण्डल बंडिगा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/21 व 82/82 में पक्षकारान के नाम से संयुक्त खाता में भूमि दर्ज हैं। पारिवारिक व्यवस्था व अपनी-अपनी सुविधा अनुरूप पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्सा का पिछले 10-15 वर्षो से आपस में तबादला कर रखा है। वादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर के हिस्सा में चक 36 एफ के खाता संख्या 82/82 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 राजवंश कौर पुत्री जंगीर सिंह के हिस्सा में चक 36 एफ के खाता संख्या 21/21 की 0.759 हैक्टेयर भूमि आई है। वादी व प्रतिवादी अपने-अपने हिस्सा पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरतंर काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान उक्त खातो में हिस्सा अनुसार भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में अलग-अलग एक दूसरे पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पडता है। वादी ने आज से 15 रोज पूर्व प्रतिवदीगण से कहा कि हम कब्जा काश्त व सहमति से बंटवारा अनुसार अपने-अपने हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यवस्ता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तबादला में वादी के हिस्सा में आयी भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम चक 36 एफ के खाता संख्या 21/21 व 82/82 में नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण ने आज से करीब 10-15 वर्षो पूर्व आपस सहमति से भूमि का बंटवारा कर रखा है और उसी अनुरूप मुझ प्रतिवदी का कब्जा काश्त चक 36 एफ के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 4, 10, 17, 55, 61, 75/1 में से 0.759 हैक्टेयर भूमि पर चला आ रहा है और उसी अनुरूप वादी का चक 36 एफ के खाता संख्या 82/82 में 0.759 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में एक-दूसरे पक्षों के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण, वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सहूलियत के अनुसार दिनांक 03.10.2020 को तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के समक्ष सहमति से तबादला हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था, लेकिन चक 36 एफ के खाता संख्या 21/21 की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारान के साथ कुलविन्द्र कौर के नाम से

अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

दर्ज है। इस कारण उक्त तबादला में तकनीकी समस्या कारित हो रही है और तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर में निष्पादित दस्तावेज का नामातंरण राजस्व अभिलेख में नहीं हो रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रतिदावा पेश किया जा रहा है। अतः जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर, मुझ प्रतिवादी का भी प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर सादिर डिक्री फरमाया जावे। काउन्टर क्लेम पर वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति जाहिर की गई। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है, प्रतिवादी को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, काउन्टर क्लेम व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस दोनो पक्षों के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादपत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के द्वारा तबादला में आई भूमि का नामान्तरण दर्ज न होने के कारण, खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा वादी व प्रतिवादी के सहमति पत्र के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 48 के अन्तर्गत चक 36 एफ के खाता संख्या 21/21 व 82/82 का तबादला दिनांक 03.01.2020 को स्वीकृत किया है। जिसका दिनांक 07.01.2020 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 533 में पृष्ठ संख्या 533 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 202003415100026 पर पंजीबद्ध किया गया है। लिहाजा तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा पूर्व में तबादला आदेश निष्पादित किया गया है, जो उपपंजीयक श्रीकरणपुर द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। यदि तबादला आदेश का नामान्तरण दर्ज नहीं हो रहा तो पक्षकारान सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के तबादला आदेश का अस्तित्व रहते हुए, पुनः उसी भूमि की तबादला डिक्री पारित कर खातेदार घोषित किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अस्वीकार/खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादिया वादपत्र अंतर्गत धारा 88,91,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/ खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

कुलविन्द्र कौर बनाम राजवंश कौर आदि

धारा अन्तर्गत **88, 91, 209** आरटीए मुकदमा नम्बर **81/2023**

निर्णय दिनांक :- 10.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज कुमार सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 88,91,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/ खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 10.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★